(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 80 (आर.ई. 2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 06 जनवरी, 2015

विषयः– ऑन लाईन आईईसी आवेदनः दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 के कार्यान्वयन की तिथि का स्थगन।

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 की सार्वजनिक सूचना सं0 76 (आर.ई. 2013)/2009–2014 को कार्यान्वित करने की तिथि को स्थगित करते हैं जिसके तहत प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र), 2009–2014 के एएनएफ 2क में संशोधन किया गया था।

2. सार्वजनिक सूचना सं0 76 (आर.ई. 2013) के तहत आईईसी आवेदनों को दिनांक 01.01.2015 से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। तथापि, कुछ अनपेक्षित तकनीकी समस्याओं के कारण नई ऑनलाईन आईईसी प्रणाली को कार्यान्वित करना संभव नहीं हो पाया है। अतः जब तक नई ऑन लाईन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाए तथा इसे तत्पश्चात नई तिथि से अधिसूचित करके लागू किया जाए तब तक आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक आवेदन प्रपत्र भरकर अपेक्षित दस्तावेजों तथा शुल्क (250 रुपये) को संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को दिनांक 01.01.2015 से पूर्व विद्यमान प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

सार्वजनिक सूचना सं0 76 (आर.ई. 2013)/2009–2014, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 का कार्यान्वयन जिसके तहत प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र), 2009–2014 के एएनएफ 2क में संशोधनों कों अधिसूचित किया गया था, को स्थगित किया गया है तथा इसकी नई तिथि को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। जब तक नई प्रणाली को कार्यान्वित किया जाए तब तक आईईसी प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक पूर्व की प्रक्रिया (दिनांक 01.01.2015 से पूर्व विद्यमान) के अनुसार पूर्ववर्ती प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेजों और शुल्क के साथ अपने आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा0 सं0 01/93/180/20/एएम13/पीसी–पीसी 2(ख) से जारी]